


## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय





फाइल नम्बर :9-HRC040/2019-CHA

दिनांक :3004.2019

सेवा में.

नोडल अधिकारी (FC) एवं वन संरक्षक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, C- 18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 6.7 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. 2 PWD B&R, Gurugram for widening and strengthening of Wazirpur-Farrukhnagar road km. 0.900 to 7.60, under Forest Division and District Gurugram, Haryana. (online proposal no. FP/HR/Road/35683/2018)

सन्दर्भ: 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 8744/429 दिनांक 25.04.2019.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भाकिंत पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 6.7 वन भूमि की मांग की गई है।

- 2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:
  - i) Legal status of the user agency under column A-2(xiii) is shown as others instead of State Government.
  - ii) Layout plan approved by competent authority is not provided.
  - Species-wise local/scientific names under column 4(ii) of Part-II is shown as 'nil' tree instead of 1320 trees.
- 3. उपरोक्त जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करे ताकि इस प्रस्ताव को 6.05.2019 को होने वाली REC meeting में चर्चा की जा सके |

भवदीय

(एस॰डी॰ शर्मा)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- 1. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Gurugram, Haryana
- 2. The Executive Engineer, Provincial Division No. 2 PWD B&R, Gurugram